



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2000/श्रावण 17, 1922

No. 422]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2000/SRAVANA 17, 1922

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2000

सा.का.नि. 653(अ).— जबकि भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रत्यर्पण सन्धि पर हस्ताक्षर 25 अक्टूबर, 1999 को नई दिल्ली, भारत में हुए थे; और 29 मई, 2000 को अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था और जिस सन्धि में नीचे दिए अनुसार प्रावधान हैं :-

अनुच्छेद - एक

संविदाकारी राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति का प्रत्यर्पण करेंगे जो अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए नियमों और शर्तों के अनुसार अन्य संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध का अभियुक्त अथवा सिद्धदोष हो, चाहे वह अपराध इस सन्धि के लागू होने से पहले अथवा बाद में किया गया हो ।

अनुच्छेद - दो

निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्यर्पित किया जाएगा:-

- (क) दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अन्तर्गत सजा योग्य ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति जिसके लिए कम से कम एक वर्ष अथवा अधिक अवधि की सजा हो.

(ख) ऐसे व्यक्ति जिन्हें अनुरोधकर्ता राज्य के न्यायालयों ने किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के संबंध में कम से कम छह माह की सजा दी हो ।

अनुच्छेद - तीन

1. करों, वित्तीय प्रभारों और सीमा-शुल्क से सम्बन्धित अपराधों के लिए प्रत्यर्पण इस संधि के प्रावधानों के अनुसार इसी स्थिति में प्रभावी होगा यदि वह अपराध प्रार्थित राज्य के कानून के अन्तर्गत उसी स्वरूप के अपराध अनुरूप है ।
2. प्रत्यर्पणीय अपराध के प्रयास अथवा षड्यंत्र अथवा अपराध करने के लिए उकसाने अथवा उसमें भाग लेने को भी प्रत्यर्पणीय अपराध के रूप में माना जाएगा ।

अनुच्छेद - चार

1. प्रत्यर्पण किसी ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए स्वीकार किया जाएगा जो अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र के बाहर किन्तु उसकी अधिकारिता के भीतर किया गया हो जो अनुरोधकर्ता राज्य के दावे के अनुसार तदनुरूपी परिस्थितियों में ऐसे अपराध के लिए प्रार्थित राज्य की अधिकारिता में किया गया हो । ऐसे मामलों में प्रार्थित राज्य अपराध की गंभीरता सहित मामले की सही परिस्थितियों को स्वीकार करेगा ।
2. प्रत्यर्पण किसी ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रदान किया जाएगा जो अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य में मौजूदा अनुरोधकर्ता राज्य के किसी राष्ट्रिक द्वारा किसी तीसरे राज्य में किया गया हो और बशर्ते वह अपराध प्रार्थित राज्य के कानूनों के अन्तर्गत एक प्रत्यर्पणीय अपराध होता ।
3. प्रत्यर्पण किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए भी प्रदान कराया जाएगा चाहे वांछित व्यक्ति का आधार प्रार्थित राज्य में पूर्णतः अथवा आंशिक पाया जाता हो बशर्ते उस राज्य के कानून के अन्तर्गत उसके आधार को और उसके अभीष्ट प्रभाव पूर्ण रूप में लिए जाने पर, अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में प्रत्यर्पणीय अपराध करने के समान समझा जाता हो ।

अनुच्छेद - पांच

संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रिकों को अन्य संविदाकारी राज्य में प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा बशर्ते कि प्रार्थित राज्य किए गए कृत्य का दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अन्तर्गत अपराध के रूप में समझे जाने की दशा में अभियोजन के लिए अपने सक्षम प्राधिकरणों के समझ प्रस्तुत करे ।

अनुच्छेद - छह

प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है :

- (1) यदि अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, राजनीतिक अपराध है । इस संधि के लागू होने में निम्नलिखित को राजनीतिक अपराध नहीं समझा जाता है :

(क) दोनों से किसी भी संविदाकारी राज्य के राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति अथवा उनके परिवारों के किसी सदस्य, अथवा संयुक्त अरब अमीरात की सर्वोच्च परिषद के सदस्य, अथवा उनके परिवारों के सदस्यों अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की मंत्रिपरिषद् के सदस्यों अथवा उनके परिवारों के किसी सदस्य पर आक्रमण ।

(ख) हत्या, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध अथवा लूटपाट;

(ग) हत्या सहित, हत्या की कोटि में न आनेवाला आपराधिक मानव वध, शारीरिक क्षति पहुँचाने वाला आक्रमण, अपहरण, बन्धक बनाने सहित आतंकवाद से सम्बद्ध अपराध ऐसे अपराध जिनमें सम्पत्ति की अपार क्षति हो अथवा सार्वजनिक सुविधाओं में अवरोध हो, ऐसे अपराध जो आग्नेय अस्त्रों और अन्य शस्त्रों अथवा विस्फोटकों अथवा खतरनाक पदार्थों से सम्बद्ध हों;

(घ) किसी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई अपराध जिसके कि दोनों संविदाकारी राज्य पक्षकार हैं और जो पक्षकारों के लिए अभियोजन चलाने अथवा प्रत्यर्पण को बाध्य बनाते हों;

(ङ.) उपर्युक्त किसी अपराध को करने का प्रयास करना अथवा करने के लिए षडयंत्र करना अथवा उकसाना अथवा भाग लेना ।

2. निम्नलिखित मामलों में भी प्रत्यर्पण के लिए इंकार किया जा सकता है :

(क) यदि प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया हो, जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया है और छोड़ दिया गया था अथवा सिद्धदोष किया गया था और उसने सजा पूरी कर ली थी अथवा सजा पूरी कर रहा हो;

(ख) यदि अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अनुपालन में अनुरोध मिलने के समय आपराधिक कार्यवाहियाँ समाप्त हो गयी हों अथवा सजा की अवधि पूरी हो गई हो;

(ग) यदि किसी विदेशी द्वारा अपराध अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र के बाहर किया गया हो, और यदि वह अपराध प्रार्थित राज्य के कानून के अन्तर्गत अपराध न हो;

(घ) यदि अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया गया है प्रार्थित राज्य में किया गया हो, बशर्ते प्रार्थित राज्य उस व्यक्ति पर अभियोजन चलाए;

(ङ.) जिस व्यक्ति का प्रत्यर्पण मांगा गया है उस व्यक्ति की यदि प्रार्थित राज्य में उसी अपराध के लिए जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध है, जांच चल रही हो अथवा उस पर मुकदमा चल रहा हो ।

अनुच्छेद - सात

इस संधि के अन्तर्गत निर्धारित कारणों पर प्रार्थित राज्य द्वारा यदि प्रत्यर्पण से इंकार किया जाता है तो वह मामले को अभियोजन के लिए अपने सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत

करेगा । वे प्राधिकरण उसी तरीके से अपना निर्णय लेंगे जैसा कि उस राज्य के कानून के अन्तर्गत समान स्वरूप के किसी अपराध के मामले में लिया गया होता ।

अनुच्छेद - आठ

प्रत्यर्पण अनुरोध लिखित रूप में किया जाएगा और अधोलिखित दस्तावेजों तथा संलग्न विवरणों के साथ राजनयिक माध्यम से भेजा जाएगा,

(क) यदि अनुरोध पहले से सिद्धदोष अथवा सजा पाए व्यक्ति से सम्बद्ध है तो प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को दी गई सजा की एक आधिकारिक प्रति;

(ख) यदि प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति की जांच चल रही है तो सक्षम प्राधिकरण द्वारा गिरफ्तारी का वारंट अथवा रिमांड अथवा समान प्रभाव का कोई दस्तावेज,

(ग) यदि संभव हो, तो प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान, विवरण और चित्र जैसे विवरण;

(घ) जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उसके होने की तारीख और स्थान, उन अपराधों की विधिक विशेषता, और लागू विधिक प्रावधानों की सत्य प्रति और प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में अभियोजन प्राधिकारियों द्वारा एक बयान;

(ङ) यदि व्यक्ति को अभी सजा नहीं हुई हो, तो ऐसे अन्य साक्ष्य जो अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों के अनुसार अपराध अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्राधिकार में होने की स्थिति में उसकी गिरफ्तारी और मुकदमा चलाए जाने का औचित्य सिद्ध करते हों;

उपर्युक्त सभी कागजात का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा तथा इसे अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

अनुच्छेद - नौ

1. तात्कालिकता की स्थिति में प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति को अनन्तिम रूप से कैद करके हवालात में तब तक रखा जा सकता है जब तक कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद में उल्लिखित कागजात के साथ प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त नहीं हो जाता है ।

2. अनन्तिम गिरफ्तारी तथा रिमांड पर रखने का अनुरोध प्रार्थित राज्य के सक्षम प्राधिकारी को सीधे अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस (इन्टरपोल) लिखित रूप से संप्रेषित किया जाएगा ।

3. उसी तरह के अनुरोध की पुष्टि राजनयिक माध्यमों के जरिए भी की जाएगी तथा जहां तक संभव हो सके इसमें पूर्ववर्ती अनुच्छेद में उल्लिखित किन्हीं कागजात का संदर्भ, प्रत्यर्पण का अनुरोध संप्रेषित करने की प्रार्थित राज्य की मंशा की सूचना, जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण की प्रार्थना की गई है उसका विवरण, उस अपराध के लिए दी जाने वाली सजा अथवा दी गई सजा, किए गए अपराध का समय और स्थान, प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति का विस्तृत हुलिया होना चाहिए। अनुरोधकर्ता राज्य को अनुरोध से संबंधित की गई किसी भी कार्रवाई की सूचना अविलम्ब दी जाएगी।

4. अनन्तिम गिरफ्तारी तथा हिरासत प्रार्थित राज्य की विधिक प्रक्रियाओं के अनुरूप की जाएगी।

अनुच्छेद - दस

1. यदि प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की तारीख से पैंतालीस दिन के अन्दर इस संधि के अन्तर्गत वांछित कागजात नहीं सौंप दिए जाते हैं तो उसे रिहा कर सकते हैं।

2. अनन्तिम कैद की अवधि किसी भी हालत में इसके आरंभ होने की तारीख से साठ दिन से अधिक नहीं बढ़ायी जाएगी।

3. प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को किसी भी समय जमानत पर रिहा किया जा सकता है यदि प्रार्थित राज्य उसके पलायन को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है। ऐसे किसी व्यक्ति की रिहाई के बाद उसकी पुनः गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाएगा, यदि बाद में प्रत्यर्पण का अनुरोध पूर्ण कर लिया जाता है।

अनुच्छेद - ग्यारह

यदि संधि में शामिल शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रार्थित राज्य को अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो अनुरोध ठुकराने से पूर्व वह राजनयिक माध्यमों के जरिए अनुरोधकर्ता राज्य को सूचित करेगा तथा ऐसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए वह कोई तारीख निश्चित कर सकता है।

अनुच्छेद - बारह

यदि एक ही प्रकार के अपराध के लिए संविदाकारी पक्षों से प्रत्यर्पण के लिए अनेक अनुरोध प्राप्त होते हैं तो उस राज्य को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी सुरक्षा अथवा हित अथवा इसके राष्ट्रियों अथवा उनके हितों पर उस अपराध से प्रभाव पड़ता हो, तथा उसके बाद उस राज्य को जिसके क्षेत्र में वह अपराध किया गया तथा अंत में उस राज्य को जिसका राष्ट्रिक प्रत्यर्पित किया जाने वाला व्यक्ति है।

यदि परिस्थितियाँ एक समान हैं तो उस राज्य को प्राथमिकता दी जाएगी जिसने पहले अनुरोध किया हो। यदि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध अनेक अपराधों के लिए किया गया है तो अपराध की परिस्थितियों तथा इसकी गंभीरता को प्रधानता दी जाएगी।

अनुच्छेद - तेरह

सद्भाव से कार्य कर रहे दूसरों के अधिकारों तथा प्रार्थित राज्य में प्रचलित कानूनों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए बिना उसकी गिरफ्तारी अथवा हिरासत के समय अथवा उसके बाद की अवस्था में, अपराध के द्वारा अर्जित अथवा अपराध करने में प्रयुक्त, अथवा इससे संबंधित, अथवा सबूत के तौर पर प्रासंगिक सभी वस्तुएं जो प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति से बरामद की जाती हैं, जब्त कर ली जाएं तथा इन्हें अनुरोधकर्ता राज्य को उस स्थिति में भी सौंपा जा सकता है, यदि मृत्यु या फरार हो जाने के कारण अपराधी का प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है।

अनुच्छेद - चौदह

1. अनुरोध करने पर प्रत्येक संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी प्रचलित कानूनों के अनुसार प्रत्यर्पण के अनुरोध पर निर्णय लेंगे।
2. प्रत्यर्पण अनुरोध स्वीकार कर लिए जाने की स्थिति में अनुरोधकर्ता राज्य को प्रत्यर्पण की तारीख और स्थान की सूचना दी जाएगी।
3. अनुरोध अस्वीकार कर दिए जाने की स्थिति में प्रार्थित राज्य अनुरोधकर्ता राज्य को लिए गए निर्णय तथा इसके कारणों की सूचना राजनयिक माध्यमों के जरिए देगा।
4. प्रत्यर्पण की अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों के अन्दर अनुरोधकर्ता प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राप्त करेगा अन्यथा प्रार्थित राज्य उसे रिहा कर देगा तथा ऐसी स्थिति में उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पण का कोई दूसरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. यदि किसी संविदाकारी राज्य को समुचित समय के भीतर वांछित व्यक्ति के समर्पण अथवा सुपुर्दगी लेने में विशेष परिस्थितियाँ रूकावट डालती हैं, तो वह अन्य संविदाकारी राज्य को निर्धारित समयावधि समाप्त होने से पूर्व सूचित करेगा। इस प्रकार के मामले में, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समर्पण की किसी नई तारीख पर सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद - पन्द्रह

1. यदि प्रत्यर्पित किया जाने वाला व्यक्ति प्रार्थित राज्य में किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए जांच के अधीन या स्थायी अभियोजन अथवा दोषसिद्ध है, जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, तभी प्रार्थित राज्य अनुरोध पर फैसला करेगा और किए गए निर्णय को अनुरोधकर्ता राज्य के लिए संप्रेषित करें।

2. यदि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध स्वीकृत हो जाता है तो इसके बाद संबंधित व्यक्ति का समर्पण प्रार्थित राज्य में उसका अभियोजन पूर्ण हो जाने तथा दिया गया दण्ड निष्पादित होने तक स्थगित किया जाएगा ।

3. इस अनुच्छेद का उपबन्ध अनुरोधकर्ता राज्य के न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने के लिए संबंधित व्यक्ति के अनन्तिम समर्पण की संभावना को बाधित नहीं करेगा बशर्ते कि अनुरोधकर्ता राज्य प्रार्थित राज्य की विधि के अध्यक्षीन, उससे संबद्ध न्यायिक कार्यवाहियों के पूर्ण होने के पश्चात् दूसरे संविदाकारी राज्य को उसे वापस लौटाने का स्पष्टतः वचन दे ।

अनुच्छेद - सोलह

1. प्रार्थित राज्य के सक्षम प्राधिकारी प्रत्यर्पण के लिए किन्हीं कार्यवाहियों, शपथ स्वीकारोक्ति के आधार लिए गए किसी बयान, अभिशंसा के तथ्य का उल्लेख करते हुए किसी समादेश या किसी प्रमाण पत्र अथवा न्यायिक दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा, यदि वह निम्नलिखित प्रकार से सत्यापित किया जाता है,

हस्ताक्षरित किसी समादेश के मामले में,

(क) अनुरोधकर्ता राज्य के किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी मूल दस्तावेज के मामले में, और

(ख) अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम अधिकारी की सरकारी मोहर द्वारा अथवा किसी गवाह की शपथ द्वारा अभिसाक्ष्यों या बयानों के मामले में, अथवा

(ग) इस प्रकार के किसी अन्य तरीके से जो प्रार्थित राज्य की विधि में अनुमत हो ।

2. पैराग्राफ (1) में वर्णित साक्ष्य प्रार्थित राज्य में प्रत्यर्पण कार्यवाहियों में अनुमत होगा चाहे अनुरोधकर्ता राज्य में किसी तीसरे राज्य में शपथ या प्रतिज्ञा स्वरूप दिया हो ।

अनुच्छेद - सत्रह

1. प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति पर अनुरोधकर्ता राज्य में सिवाय उस अपराध के जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण अपेक्षित है अथवा उससे संबद्ध अपराधों के लिए या उसके प्रत्यर्पण के पश्चात् किए गए अपराधों के लिए अभियोजन अथवा दण्डित नहीं किया जाएगा । यदि प्रत्यर्पित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाहियों के दौरान अपराध की प्रकृति बदल गई है, उस पर दोष या अभियोग नहीं चलाया जाएगा, बशर्ते कि इस करार के उपबन्धों के अनुरूप उस अपराध में उसके नए लक्षण के तत्त्व प्रत्यर्पण की अनुमति दें ।

2. यदि प्रत्यर्पित व्यक्ति को उस राज्य के प्रदेश जिसमें वह प्रत्यर्पित था, को छोड़ने की स्वतंत्रता और साधन थे, और अपनी अन्तिम रिहाई के पश्चात् तीस दिन के भीतर नहीं छोड़ा था अथवा उस अवधि में छोड़ दिया था, किन्तु स्वेच्छा से लौट आया था, उस पर अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

अनुच्छेद - अठारह

1. वह संविदाकारी राज्य जिसमें वह व्यक्ति प्रत्यर्पित है, दूसरे संविदाकारी राज्य की अनुमति के बिना, उसे किसी तीसरे राज्य के लिए प्रत्यर्पित नहीं करेगा।
2. उस व्यक्ति को किसी तीसरे राज्य में प्रत्यर्पित किया जा सकता है यदि अनुच्छेद सत्रह (2) के अन्तर्गत शर्तें लगाई गई हों।

अनुच्छेद - उन्नीस

प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ अनुरोधकर्ता राज्य में पारित किसी प्रकार की सजा से अनन्तिम रिमांड की अवधि से छूट दी जाएगी।

अनुच्छेद - बीस

1. उस व्यक्ति के पारगमन की, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के प्रदेश के लिए किसी संविदाकारी राज्य के प्रदेश के जरिए किसी तृतीय राज्य से प्रत्यर्पण के अध्यक्षीन है, अनुरोध प्रस्तुत करने पर अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि संबंधित अपराध अनुच्छेद दो के अधीन एक प्रत्यर्पणीय अपराध है, और यह कि पारगमन की अनुमति के लिए प्रार्थित संविदाकारी राज्य उस अपराध को अनुच्छेद तीन या चार के अन्तर्गत आने वाला नहीं मानता हो।
2. प्रार्थित राज्य के किसी राष्ट्रिक के पारगमन को अस्वीकार किया जा सकता है यदि उस राज्य की राय में, वह उसकी विधि के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं है।
3. पारगमन के लिए अनुरोध के साथ इस संधि में निर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।
4. उपर्युक्त पैरा 3 में वर्णित दस्तावेज पैंतालीस दिन के अन्दर सौंपे जाएंगे।

अनुच्छेद - इक्कीस

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य, यातायात पर होने वाले व्यय को छोड़कर, जिसे अनुरोधकर्ता राज्य वहन करेगा, संबंधित व्यक्ति के प्रत्यर्पण पर होने वाले सभी आवश्यक व्यय परस्पर वहन करेगा।

2. अगर प्रत्यर्पित व्यक्ति पर लगाया गया अपराध या सहापराधिता साबित न हो पाए जो अनुरोधकर्ता राज्य उस व्यक्ति के उस स्थान पर लौटने पर होने वाले व्यय को वहन करेंगे जहाँ पर वह व्यक्ति प्रत्यर्पण के समय था।

अनुच्छेद - बाईस

प्रत्येक संविदाकारी राज्य अपनी राष्ट्रीय विधि तथा द्विपक्षीय करारों के अनुरूप दूसरे पक्ष को उस अपराध के संबंध में, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, आपराधिक मामलों में व्यापक स्तर पर परस्पर सहायता प्रदान करेगा।

अनुच्छेद - तेईस

इस संधि का प्रत्येक संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप अनुसमर्थन किया जाएगा।

अनुच्छेद - चौबीस

कोई भी संविदाकारी पक्ष राजनयिक माध्यमों से छह महीने का नोटिस देकर इस करार को समाप्त कर सकता है। ऐसे नोटिस की अवधि समाप्त होने पर यह करार अप्रभावी हो जाएगा।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा अधिकृत होकर इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में एक हजार नौ सौ निन्यानवे के अक्टूबर माह के पच्चीसवें दिन हिन्दी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अन्तर की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान, अध्याय-III को छोड़कर, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से संयुक्त अरब अमीरात पर लागू होंगे।

[सं. टी. 413/3/96]

एस.आर. तामल, संयुक्त सचिव (सीपीबी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 20th July, 2000

*Indo-UAE
Ext. Treaty*

G.S.R. 653(E).—whereas the Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and the United Arab Emirates was signed at New Delhi, India on 25th October, 1999; and the instruments of ratification exchanged at Abu Dhabi, the United Arab Emirates on 29th May, 2000 and which Treaty provides as follows:

ARTICLE-1

The Contracting States shall extradite any person found in their respective territories who is accused or convicted of an extraditable offence in the territory of the other contracting State, in accordance with the rules and stipulations contained in the subsequent Articles, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

ARTICLE-2

The following persons shall be extradited:

- a) Persons accused of an offence punishable under the laws of both the contracting States by imprisonment for a period of at least one year or more.
- b) Persons sentenced by the Courts of the requesting State with imprisonment for at least six months in respect of an extraditable offence.

ARTICLE 3

1. For offences in connection with taxes, fiscal charges and customs duties extradition shall be effected in accordance with the provisions of this Treaty only if the said offence corresponds to an offence of a similar nature under the law of the requested State.

2. An attempt or conspiracy to commit or incite or participate in the commission of an extraditable offence shall also be regarded as an extraditable offence.

ARTICLE 4

1. Extradition shall be granted in respect of an extraditable offence committed outside its territory but within the jurisdiction as asserted by the requesting State if the requested State would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence. In such cases, the requested State shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence.

2. Extradition shall be available for an extraditable offence if committed in a third State by a national of the requesting State who is present in the requested State and provided that it would be an extraditable offence under the laws of the requested State had the offence been committed in the requested State.

3. Extradition shall also be available for an extraditable offence notwithstanding the conduct of the person sought occurred wholly or partly in the requested State, if under the law of that State his conduct and its effects or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extraditable offence in the territory of the requesting State.

ARTICLE 5

The nationals of the Contracting States shall not be extradited to the other Contracting State provided that the requested State shall submit the case to its competent authorities for prosecution if the act committed is considered as an offence under the laws of both Contracting States.

ARTICLE 9

Extradition may be refused :

1. If the offence for which the extradition is requested is a political offence. In the application of this Treaty, the following shall not be regarded as political offences:

- a) Assault against the President or the Vice President of either Contracting State, or any member of their families, or the members of the Supreme Council of the United Arab Emirates, or any of their families and the members of the Council of Ministers of the two countries or any member of their families;
- b) Murder, culpable homicide not amounting to murder or robbery;
- c) Offences relating to terrorism, including murder, culpable homicide not amounting to murder, assault causing bodily harm, kidnapping, hostage-taking, offences involving serious damage to property or disruption of public facilities, and offences relating to firearms or other weapons, or explosives, or dangerous substances;
- d) Any offence within the scope of an international Convention to which both Contracting States are parties and which obligates the parties to prosecute or grant extradition;
- e) An attempt or conspiracy to commit or incite or participate in the commission of any of the above offences.

2. Extradition may also be refused:

- a) if the persons sought to be extradited was previously tried for the same offence for which extradition is requested and was acquitted or was convicted and had completed the sentence or is undergoing it;
- b) if the criminal proceedings had expired or the sentence lapsed by time, in pursuance of the law of the requesting State, when the request for extradition was received;
- c) if the offence was committed outside the territory of the requesting State, by an alien, and if it is not an offence under the law of the requested State;

- d) if the offence for which extradition is requested was committed in the requested State, provided the requested State prosecutes the person;
- e) if a person whose extradition is sought is being investigated or tried in the requested State for the same offence for which his extradition is requested.

ARTICLE 7

Where the requested State refuses a request for extradition for the reasons set out under this Treaty it shall submit the case to its competent authorities for prosecution. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a similar nature under the law of that State.

ARTICLE 8

The request for extradition shall be made in writing and despatched through the diplomatic channels with the undermentioned documents and particulars appended;

- a) If the request relates to a person already convicted and sentenced, an official copy of the sentence passed against the person to be extradited;
- b) The warrant of arrest, or remand or any document having the same effect, by a competent authority, if the person to be extradited is under investigation;
- c) Particulars as to identity, description and a photograph of the person to be extradited, if possible;
- (d) The date, the place of the commission of the acts for which extradition is requested, the legal characterisation of those offences, and a certified copy of the applicable legal provisions, and a statement by the prosecuting authorities as to evidence against the person to be extradited;
- e) In case of persons not yet sentenced, such other evidence, as according to the laws of the requested State, would justify his arrest and committal for trial had the offence been committed within the jurisdiction of the requested State;

All documents referred to above shall be translated into English and authenticated by the requesting State.

ARTICLE 9

1. In case of urgency, a person to be extradited may be provisionally arrested and remanded in custody until the request for extradition, together with the documents referred to in the preceding Article are received.
2. The request for provisional arrest and remand shall be communicated in writing to the competent authority of the requested State, either directly or through the International Criminal Police Organisation (INTERPOL) channels.
3. The same request shall be confirmed through the diplomatic channels, and shall contain a reference to the existence of any of the documents, enumerated in the preceding Article, and intimating the intention of the requesting State to transmit a request for extradition, a statement of the offence for which extradition is requested, the sentence specified for that offence or the sentence imposed, the time and place of the commission of the offence and a detailed description of the person to be extradited, as far as possible. The requesting State shall forthwith be notified of any action taken in respect of the request.
4. The provisional arrest and remand shall be made in accordance with the legal procedures of the requested State.

ARTICLE 10

1. The competent authority in the requested State may, if the documents required under this Treaty are not delivered within forty five days from the date of the arrest of the person to be extradited, release that person.
2. The period of the provisional detention shall not, in any case, exceed sixty days from the date of its commencement.
3. The person to be extradited, may at any time be released on bail, if the requested State takes all necessary measures to prevent his escape. The release, of such person shall not prevent his re-arrest and extradition, if the request for extradition is completed afterwards.

ARTICLE 11

If the requested State needs additional clarifications to ensure the compliance with the conditions embodied in this Treaty it shall notify the

requesting State through diplomatic channels, before rejecting the request, and may fix a date for receiving such clarifications.

ARTICLE 12

If numerous requests from Contracting States for extradition are made for the same offence, priority shall be given to the State whose security or interest or its nationals or their interests are affected by the offence, and then to the State on whose territory the offence is committed, and lastly to the State of which the person to be extradited is a national.

If the circumstances are identical then the State which made the first request shall have preference. If the requests for extradition are for several offences, then preponderance is accorded to the circumstances of the offence and its gravity.

ARTICLE 13

Without prejudice, to the right of others acting in good faith, and to the laws in force in the requested State everything found in possession of the person to be extradited, at the time of his arrest or remand or at a later stage, whether being the proceeds of the offence or used in the commission of, or connected with it, or relevant as evidence, shall be attached and may be handed over to the requesting State, even if the offender is not extradited due to his death or his absconding.

ARTICLE 14

1. The competent authorities in each Contracting State shall determine the request for extradition in accordance with the law in force at the time of the request.
2. In the event of accepting the extradition request, the requesting State shall be notified of the date and place of the extradition.
3. In case the request is rejected, the requested State shall communicate to the requesting State, through diplomatic channels, the decision taken giving reasons.
4. The requesting State shall, within thirty days from the date of its notification of the extradition, receive the person to be extradited, otherwise the requested State may discharge him, and in such event no second request for extradition may be accepted for the same offence.

5. If exceptional circumstances prevent a Contracting State from surrendering or taking delivery of the person sought in good time, it shall notify the other Contracting State prior to the expiration of the time limit. In such a case, the competent authorities of the Contracting States may agree upon a new date for the surrender.

ARTICLE 15

1. If the person to be extradited is under investigation or standing trial or is convicted in the requested State for an offence other than that for which his extradition is requested, then the requested State shall decide on the request and communicate the decision made, to the requesting State.

2. If the request for extradition is accepted, then the surrender of the person concerned, shall be postponed until his trial in the requested State is completed and the punishment passed is executed.

3. The provisions of this Article shall not preclude the possibility of the provisional surrender of the person concerned to appear before the judicial authorities of the requesting State, provided that the requesting State expressly undertakes to return him to the other contracting State, after the completion of the judicial proceedings pertaining thereto, subject to the law of the requested State.

ARTICLE 16

1. The competent authorities of the requested State shall admit as evidence, in any proceedings for extradition, any statement taken on oath or by way of affirmation, any warrant or any certificate or judicial document stating the fact of conviction, if it is authenticated :

- a) In the case of a warrant being signed, or in the case of any original document being certified by a judge, magistrate or other competent authority of the requesting State; and
- b) In the case of depositions or statements either by oath of some witness or by being sealed with the official seal of the appropriate authority of the requesting State; or
- c) In such other manner as may be permitted by the law of the requested State.

2. The evidence described in paragraph (1) shall be admissible in extradition proceedings in the requested State whether sworn or affirmed in the requesting State or in some third State.

ARTICLE 17

1. The person to be extradited shall not be tried or punished in the requesting State except for the offence for which his extradition is sought or for offences connected therewith, or offences committed after his extradition. If the characterisation of the offence is modified during the proceedings taken against the person extradited, he shall not be charged or tried, unless the ingredients of the offence in its new characterisation, permit extradition in conformity with the provisions of this Agreement.

2. If the person extradited had the liberty and means to leave the territory of the State to which he was extradited, and he did not leave within thirty days subsequent to his final release or left during that period, but voluntarily returned, he may be tried for the other offences.

ARTICLE 18

1. The Contracting State to which the person is extradited shall not extradite him to a third State, without the consent of the other Contracting State.

2. The person may be extradited to a third State if the conditions under Article 17 (2) exist.

ARTICLE 19

The term of provisional remand shall be remitted from any sentence passed in the requesting State against the person to be extradited.

ARTICLE 20

1. Transit of a person who is the subject of extradition from a third State through the territory of a Contracting State to the territory of the other Contracting State shall be granted on submission of a request, provided that the offence concerned is an extraditable offence under Article 2, and that the Contracting State requested to grant transit does not consider the offence to be one covered by Article 3 or 4.

2. Transit of a national of the requested State may be refused if, in the opinion of that State, it is inadmissible under its law.

3. The request for transit must be accompanied by documents as mentioned in this Treaty.

4. The documents mentioned in para 3 above, shall be delivered to the Requested State within forty five days.

ARTICLE-21

1. Each Contracting State shall reciprocally bear all the expenses necessitated by the extradition of the person concerned, except transportation expenses which shall be borne by the requesting State.
2. The requesting State shall pay the expenses of the return of the extradited person to the place, he was in at the time of his extradition if his commission of the offence or complicity is not proved.

ARTICLE-22

Each Contracting State shall in accordance with national laws and bilateral agreements afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

ARTICLE-23

This Treaty shall be ratified in accordance with the constitutional procedures in force in each of the Contracting States.

ARTICLE-24

Either of the contracting Parties may terminate this Agreement by giving six months notice thereof through diplomatic channels. Upon the expiry of such notice, the agreement shall cease to have any force or effect.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this agreement.

Done at New Delhi on this the Twenty-Fifth day of October month of One Thousand and Nine Hundred Ninety Nine in two originals each in the Hindi, Arabic and English languages, all the texts being equally authentic. In the event of any differences the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section(1) of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to United Arab Emirates with effect from the date of the publication of this notification.

[No. T. 413/3/96]

S.R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV)